



31/125 - पत्रावली देखा हुई / वादी अखि 0350
 वादी अखि 0 पत्रिकाकी 1/1 के समान
 मोरिस इन्डिस्ट्री ऐडि देखा करे पेक्ष
 नरी करमे पर आवेश 9 नियम 5
 के तहत कार्रवाई की पाछेगी
 पत्रावली 7/2/25 को देखा छे


7/2/25 पत्रावली पेश हुयी समयपक्ष
 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
 अवकाश में है। पत्रावली साबिक आवेश
 दिनांक 27/2/25 को पेश हो।
 आदेश देकर

21/2/25 पत्रावली पेश हुयी समयपक्ष
 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
 अवकाश में है। पत्रावली साबिक आवेश
 दिनांक 18/3/25 को पेश हो।
 आदेश देकर

18/3/25 पत्रावली देखा हुई। वादी एवं वादी आदी. अनुपस्थित।
 वादी एवं वादी आदीवक्ता को नियमानुसार तीन बार
 आवाजें लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया।
 वादी एवं वादी आदीवक्ता को न्यायालय में पुनः एक
 बार आवाज लगावाई गई, परन्तु कोई उपस्थित
 नहीं आया। वादी एवं वादी आदीवक्ता के उपस्थित
 नही होने से वादी द्वारा उपर्युक्त वाद भन्गति धारा
 88, 89, 92 ए एवं 188 शाब्दमान काष्ठकार्री
 आरीनियम की अदम हाजरी। अवम पेशी में
 ब्यक्ति किता वाला है निर्णय खुले न्यायालय में
 सुनाया गया। रिकी पत्रा वादी ली।

पत्रावली फाँसल शुभाट होकर
 गार्डिल आफर हो तथा नम्बर से कम हो।


 18/3/25
 सहायक कलक्टर
 भीलवाड़ा